सूचना

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन: L65910DL1986GOI024862

ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110 001, भारत

दूरभाष सं.: +91 11 23556000, **फैक्स:** +91 11 23512545,

Tel: +91 11 23556000, **Fax:** +91 11 23512545,

ई-मेल आईडी: investorsgrievance@pfcindia.com

वेबसाइट: www.pfcindia.co.in

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की उनचालीसवीं वार्षिक आम बैठक निम्नलिखित कार्यवाही पूरी करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के जरिए **गुरुवार, 28 अगस्त, 2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे** आयोजित की जाएगी:-

सामान्य कार्यवाही

1. प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना

क) दिनांक 31 मार्च, 2025 तक लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण सहित दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के एकल लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों तथा उन पर निदेशक मंडल, सांविधिक लेखापरीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट।

ख) दिनांक 31 मार्च, 2025 तक लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण सहित दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों तथा उन पर निदेशक मंडल, सांविधिक लेखापरीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट।

2. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना और इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

3. श्री राजीव रंजन झा (डीआईएन: 03523954) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो रोटेशन पर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होने के कारण स्वयं के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

4. सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना।

विशेष कार्यवाही

5. श्रीमती उषा सजीव नायर (डीआईएन: 09408454) की कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है कि** 2013 की धारा 149, 152, 161 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अन्य लागू प्रावधानों, विनियमन 17(1सी), 25 (2ए) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अन्य लागू प्रावधानों और/या किसी अन्य लागू कानून (किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित, जो वर्तमान में लागू है) के अनुसार, श्रीमती उषा सजीव नायर (डीआईएन: 09408454), जिन्हें कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त/पुनः नियुक्त किया गया था, भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से आदेश संख्या एफ.सं.46/2/2010-आरई(खंड III)(भाग-4)(भाग-1) दिनांक अप्रैल के माध्यम से 17 अप्रैल, 2025 से प्रभावी और तत्पश्चात नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, निदेशक मंडल द्वारा अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त, 17 अप्रैल, 2025 से इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद धारण करने के लिए, एतद्वारा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर कंपनी का अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) नियुक्त किया जाता है।

6. श्री प्रसन्ना तंत्री (डीआईएन: 06471864) की कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152, 161 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अन्य लागू प्रावधानों, विनियमन 17(1सी), 25 (2ए) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और/या किसी अन्य लागू कानून (किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित, जो वर्तमान में लागू है) के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, श्री प्रसन्ना तंत्री (डीआईएन: 06471864) जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से आदेश सं. के माध्यम से कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त/पुनः नियुक्त किया गया था। एफ.सं.46/2/2010-आरई(खंड III)(भाग-4)(भाग-1) दिनांक 17 अप्रैल, 2025 और तत्पश्चात नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, निदेशक मंडल द्वारा 17 अप्रैल, 2025 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त, इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद धारण करने के लिए, एतद्वारा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर कंपनी का अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) नियुक्त किया जाता है।"

7. श्री नरेश धनराजभाई केल्ला (डीआईएन: 01176450) की कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में

नियुक्ति।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152, 161 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अन्य लागू प्रावधानों, विनियम 17(1सी), 25 (2ए) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अन्य लागू प्रावधानों और/या किसी अन्य लागू कानून (किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुनर्अधिनियमन सहित, जो वर्तमान में लागू हैं) के अनुसार, श्री नरेश धनराजभाई केला (डीआईएन: 01176450), जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से दिनांक 17 अप्रैल के आदेश संख्या एफ.सं.46/2/2010-आरई(खंड III)(भाग-4)(भाग-1) के तहत कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 2025 और उसके बाद नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, 17 अप्रैल, 2025 से इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, और इसके द्वारा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर कंपनी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

८. श्री भास्कर भट्टाचार्य (डीआईएन: 09406292) की कंपनी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152, 161 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अन्य लागू प्रावधानों, विनियमन 17(1सी), 25 (2ए) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व औरप्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अन्य लागू प्रावधानों और/या किसी अन्य लागू कानून (किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित, जो वर्तमान में लागू हैं) के अनुसार, श्री भास्कर भट्टाचार्य (डीआईएन: 09406292), जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से आदेश संख्या एफ संख्या 46/2/2010-आरई(खंड III)(भाग 4)(भाग-1) दिनांक 13 मई, 2025 और उसके बाद कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त/पुनः नियुक्त किया गया था। नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, 13 मई 2025 से इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, और इसके द्वारा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों और शर्तों पर कंपनी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

९. डॉ. सुधीर मेहता (डीआईएन: 00056867) की कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152, 161 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अन्य लागू प्रावधानों, विनियम 17(1सी), 25 (2ए) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अन्य लागू प्रावधानों और/या किसी अन्य लागू कानूनों (किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुनर्अधिनियमन सहित, जो वर्तमान में लागू हैं) के अनुसार, डॉ. सुधीर मेहता (डीआईएन: 00056867), जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से दिनांक 14 मई के आदेश संख्या

एफ संख्या 24-8/3/2022-पीएफसी (एमओपी) के तहत कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 2025 और तत्पश्चात नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, निदेशक मंडल द्वारा 14 मई, 2025 से इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद धारण करने हेतु अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त, एतद्वारा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर कंपनी का अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) नियुक्त किया जाता है।"

10. मेसर्स टी. चटर्जी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों की कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, इसके अंतर्गत बनाए गए कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014, सेबी के विनियमन 24ए (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (किसी भी वैधानिक संशोधन, उसके वर्तमान में लागू पुन: अधिनियमन सहित) और उसके अंतर्गत समय-समय पर जारी परिपत्रों और निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर, मेसर्स टी चटर्जी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को एतद्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक लगातार पांच वर्षों की अवधि के लिए निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित समेकित शुल्क (सभी लागू करों सहित) पर कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

"इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मण्डल को समय – समय पर आवश्यक और/ या समीचीन समझे जाने वाले नियमों और शर्तों में परिवर्तन करने के लिए अधिकृत किया गया है"

आदेशानुसार निदेशक मंडल

ह/-
मनीष कुमार अग्रवाल
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

पंजीकृत कार्यालय:
ऊर्जानिधि, 1 बाराखंबा लेन,
कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली - 110001
सीआईएन: L65910DL1986GOI024862

दिनांक: 06 अगस्त, 2025

टिप्पणी:-

1. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 5 मई, 2020, 5 मई, 2022 और 28 दिसंबर, 2022 के परिपत्रों के साथ पठित 19 सितंबर, 2024 के एमसीए परिपत्र (एमसीए परिपत्र) और 3 अक्टूबर, 2024 के सेबी परिपत्र और अन्य लागू अधिसूचनाओं के मद्देनजर, कंपनी की 39वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से, सदस्यों की एक सामान्य स्थल पर भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जा रही है। 39वीं वार्षिक आम बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

2. कंपनी ने सदस्यों को केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (केफिनटेक), रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों (आरटीए) द्वारा प्रदान की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से 39वीं एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की है। सदस्यों द्वारा भाग लेने के लिए अनुदेश आगामी पैरा में दिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम एजीएम में भाग लेने की अनुमति पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर होगी।

3. एमसीए परिपत्रों के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 38वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना के लिए गिना जाएगा।

4. कंपनी, सदस्यों को एजीएम के दौरान रिमोर्ट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग दोनों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मोड से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग अवधि 15 अगस्त, 2025 को पूर्वाह्न 09.00 बजे शुरू होगी और 27 अगस्त, 2025 को अपराह्न 5.00 बजे समाप्त होगी। केफिनटेक द्वारा 27 अगस्त, 2025 को शाम 5 बजे ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया अगले पैराग्राफ में दी गई है। ऐसी रिमोट ई-वोटिंग सुविधा वीसी के माध्यम से आयोजित होने वाली 39वीं एजीएम में होने वाली वोटिंग के अतिरिक्त है।

5. वी.सी. के माध्यम से बैठक में शामिल होने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे ए.जी.एम. में ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। जिन सदस्यों ने ए.जी.एम. से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे भी वी.सी. के माध्यम से ए.जी.एम. में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

   एक बार किसी सदस्य द्वारा संकल्प पर वोट दे दिया जाता है, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। कोई सदस्य वोटिंग के केवल सिंगल मोड का ही चयन कर सकता है अर्थात रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम में वोटिंग के माध्यम से। यदि कोई सदस्य दोनों माध्यम से वोट डालता है, तो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से की गई वोटिंग मान्य होगी और एजीएम के समय दिया गया वोट अवैध माना जाएगा।

6. कंपनी ने गुरुवार, 22 अगस्त, 2025 की तारीख का निर्धारण 39वीं एजीएम में की जाने वाली कार्यवाही की मदों के संबंध में वोट देने की पात्रता का निर्धारण करने के लिए निर्धारित तारीख के रूप में की है।

   कोई व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीयों द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में, निर्धारित तारीख के अनुसार दर्ज किया गया है, उसे रिमोर्ट ई-वोटिंग के साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हक होगा। वोटिंग का अधिकार नियत तारीख के अनुसार सदस्यों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार होगा। सदस्य केवल तभी वोट देने के लिए पात्र होंगे, जब उनके पास इस समय धारित शेयर हों। कृपया यह नोट करें कि ऐसा कोई व्यक्ति जो नियत तारीख को कंपनी का सदस्य नहीं है, वह इस नोटिस को केवल सूचना के रूप में माने।

7. कंपनी ने श्रीमती नयन हांडा, पार्टनर, मैसर्स मेहता एंड मेहता, कंपनी सचिव, (एफसीएस सं.: 11993, सी.पी. सं.: 18686) को ई-वोटिंग प्रक्रिया की एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संवीक्षा करने के लिए एक संवीक्षक के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया है।

8. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, एजीएम में भाग लेने और वोट करने के लिए पात्र कोई सदस्य अपनी ओर से भाग लेने और वोट करने के लिए प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकता है। चूंकि 39वीं एजीएम, एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अत: सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति अनावश्यक हो गई है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा 39वीं एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसीलिए प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति स्लिप और रूट मानचित्र इस सूचना के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं।

9. कॉर्पोरेट सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और उनकी ओर से वोट करने के लिए अपने प्रतिनिधि अधिकृत करने हेतु बोर्ड के संकल्प की एक प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी आवश्यक है। उक्त संकल्प/प्राधिकार-पत्र nayan@mehta-mehta.in के पंजीकृत ई-मेल पते पर और एक प्रतिलिपि evoting@kfintech.com को भेजते हुए संवीक्षक को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी।

10. यदि बैठक में संयुक्त धारक भाग ले रहे हैं, तो केवल ऐसा संयुक्त धारक ही वोट के लिए हकदार होगा, जो नामों में उच्च क्रम पर है।

11. सदस्यों के रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 से गुरुवार, 28 अगस्त, 2025 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगे।

12. एमसीए परिपत्रों के अनुसार, 39वीं एजीएम की सूचना और साथ में वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 ऐसे सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरियों के पास दर्ज है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सूचना और वार्षिक रिपोर्ट तक पहुँचने के लिए एक वेबलिंक/क्यूआर कोड प्रदान करने वाला एक पत्र भेजा जा रहा है। कृपया सदस्य यह नोट करें कि यह सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 कंपनी की वेबसाइट https://www.pfcindia.co.in/ensite/Home/VS/72 स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com पर तथा केफिनटेक, आरटीए की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/ पर भी उपलब्ध है।

13. सेबी के 2 जुलाई, 2025 के परिपत्र के अनुसार, 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है, जो केवल उन भौतिक शेयरों के हस्तांतरण विलेखों को पुनः जमा करने के लिए है, जो 1 अप्रैल, 2019 से पहले जमा किए गए थे और दस्तावेजों/प्रक्रिया में कमियों या अन्य कारणों से अस्वीकृत, वापस कर दिए गए थे या जिन पर ध्यान नहीं दिया गया था। हस्तांतरण के लिए पुनः जमा किए गए शेयर उचित प्रक्रिया पूरी करने के बाद केवल डीमैट मोड में जारी किए जाएंगे। पात्र शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना अनुरोध आवश्यक दस्तावेजों के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंट को प्रस्तुत करें।

14. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार, नोटिस के मद संख्या 3, 5, 6, 7, 8 और 9 के अंतर्गत क्रमशः पुनर्नियुक्ति/नियुक्ति चाहने वाले निदेशक का संक्षिप्त विवरण इस नोटिस का हिस्सा है।

15. पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति शेयर @ रु. 10/- के चुकता इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य पर @ रु. 2.05/- (केवल दो रुपये और पांच पैसे) प्रति इक्विटी शेयर (टीडीएस की कटौती के अधीन) की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति इक्विटी शेयर (टीडीएस कटौती के अधीन) 13.75 रुपये (केवल तेरह रुपये पचहत्तर पैसे) के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है, जो वर्ष के दौरान पहले ही घोषित और भुगतान किया जा चुका है। अंतिम लाभांश, यदि घोषित किया जाता है, तो वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन की तिथि से 30 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर भुगतान किया जाएगा।

16. वित्त अधिनियम, 2020 और 2021 के प्रावधानों द्वारा यथा संशोधित और उसके साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 के बाद कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया लाभांश शेयरधारकों के पक्ष में कर योग्य है। कंपनी को अपने शेयरधारकों को लाभांश आय के वितरण पर लागू दरों पर स्रोत पर कर की कटौती करनी अपेक्षित है। टीडीएस काटने की दर शेयरधारक की आवासीय स्थिति और आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर भिन्न हो सकती है। कुछ श्रेणी के शेयरधारकों जैसे म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों को छूट दी गई है जबकि अन्य श्रेणी जैसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के लिए कर की कटौती 20% (प्लस अधिभार और उपकर) या दोहरा कराधान परिहार समझौता (डीटीएए) के तहत लागू कर की लाभकारी दर पर की जानी होगी।

टीडीएस के लिए लागू दर का निर्धारण करने के लिए कंपनियों को शेयरधारकों की कुछ श्रेणियों को कुछ विवरण और अपेक्षित दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए म्युचुअल फंड, बीमा कंपनियों आदि की श्रेणी के शेयरधारकों के संबंध में कहें तो कंपनियां टीडीएस दरों का निर्धारण करने के लिए पैन, पंजीकरण प्रमाण-पत्र, स्व-घोषणा आदि जैसे कुछ दस्तावेज मांगती हैं। लाभांश की घोषणा करने वाली प्रत्येक ऐसी कंपनी को शेयरधारकों द्वारा ये विवरण और दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। समान्यतः म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों आदि जैसे शेयरधारकों के संबंध में, ये विवरण और दस्तावेज शेयरधारकों की ओर से लाभांश की घोषणा करने वाली प्रत्येक कंपनी को उनके संरक्षक द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

आवासीय गैर-व्यक्तिगत सदस्य अर्थात भारत में स्थापित बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड और वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) तथा गैर-आवासीय गैर-व्यक्तिगत सदस्य अर्थात विदेशी संस्थागत निवेशक और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अपने संबंधित संरक्षक, जो एनएसडीएल प्लेटफॉर्म पर उपर्युक्त समय-सीमा पर या उससे पहले पंजीकृत है, के माध्यम से वैकल्पिक रूप से संबंधित फॉर्म/घोषणा/दस्तावेज जमा कर सकते हैं।

यदि एनएसडीएल प्लेटफॉर्म पर पहले से दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए हैं, तो यह संरक्षक को अपने म्यूचुअल फंड/बीमा कंपनियों/एफपीआई ग्राहकों के दस्तावेजों को अपलोड करने का विकल्प प्रदान करेगा, जो संरक्षक से प्राप्त कई ईमेल को ट्रैक करने के लिए जारीकर्ता/ आरटीए की आवश्यकता के बिना रिकॉर्ड तिथि तक लाभार्थी स्थिति के अनुसार आरटीए में स्वतः डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा, जिन डीमैट खातों के लिए निवेशक दस्तावेज डाउनलोड किए गए हैं, उनके विवरण संबंधी रिपोर्ट जारीकर्ता/आरटीए के लिए उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें समाधान की सुविधा प्राप्त होगी।

17. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसरण में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा किसी सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षक की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति की जाती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसरण में, कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में अथवा आम बैठक में यथानिर्धारित किसी अन्य तरीके से उनके पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सदस्य, निदेशक मंडल को, बोर्ड द्वारा यथा उपयुक्त तरीके से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लेखापरीक्षकों के उपयुक्त पारिश्रमिक का निर्धारण करने हेतु अधिकृत कर सकते हैं।

18. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 40(1) के परंतुक के अनुसार, 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कंपनी की प्रतिभूतियों का अंतरण तब तक शुरू नहीं किया जाएगा, जब तक प्रतिभूतियां किसी डिपॉजिटरी में डीमैटीरियलाइज़्ड रूप में रखी न गई हो। तदनुसार, भौतिक रूप में इक्विटी शेयरों को धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को डीमैटीरियलाइज़्ड रूप में रखें ताकि वे उन्हें आसानी से अंतरण कर सकें और कॉर्पोरेट कार्यों में भाग ले सकें।

19. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी भागीदारों (डीपी) के साथ पैन, पिन के साथ पता, ईमेल मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन अपडेट करें, जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते बनाए हुए हैं।

फिजिकल रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को किसी भी परिवर्तन/अद्यतन के संबंध में बता दें। फिजिकल शेयरों से संबंधित उक्त अद्यतन/परिवर्तन को सेबी के दिनांक 3 नवंबर, 2021 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 के अनुसार निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 और अन्य फॉर्म में उल्लेखित अनुदेशों के अनुसार सूचित किया जाना चाहिए। उक्त फॉर्म आरटीए की वेबसाइट-इन्वेस्टर सपोर्ट सेंटर (आईएससी) वेबपेज https://ris.kfintech.com/ clientservices/isc/default.aspx से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

सेबी ने 16 मार्च, 2023 के अपने परिपत्र के माध्यम से फिजिकल प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा 1 अक्टूबर, 2023 तक पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन जमा करना अनिवार्य कर दिया है।

20. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के साथ पठित धारा 124 के अनुसरण में, सात वर्ष की अवधि के लिए अदत्त/अदावा की गई लाभांश की राशि केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरित करनी आवश्यक है। जिन शेयरों के संबंध में लाभांशों का भुगतान नहीं किया गया है अथवा लगातार सात वर्ष या अधिक अवधि तक के लिए दावा नहीं किया गया है, वे आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे। जिन सदस्यों के संबंध में अदावा की गई लाभांशों/शेयरों की राशि आईईपीएफ को हस्तांरित कर दी गई है, वे www.iepf.gov.in पर उपलब्ध वेब फॉर्म आईईपीएफ–5 में आईईपीएफ प्राधिकरण को एक ऑनलाइन आवेदन करके उसका दावा कर सकते हैं। निवेशकों के ब्यौरे (जिनका भुगतान बकाया है) कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, ताकि निवेशक उनका दावा कर सकें।

21. भौतिक रूप में मल्टीपल फोलियो में शेयरधारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संगत शेयर प्रमाण-पत्रों सहित कंपनी अथवा केफिनटेक, कंपनी के आरटीए को एक फोलियो में अपनी होल्डिंग को समेकित करने हेतु आवेदन करें।

अपेक्षित परिवर्तन करने के बाद एक पुष्टिकरण पत्र जारी किया जाएगा जिसे सदस्य को डीमैट के लिए डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास जमा करना होगा।

22. जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे शेयरों अथवा किसी अन्य मामले में ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन, सब डिवीजन, समेकन और/अथवा नाम, पते, ई-मेल पते, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, नामांकन, पावर ऑफ अटॉर्नी अथवा बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम एवं शाखा का विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड इत्यादि में बदलाव से संबंधित समस्त पत्राचार कंपनी के आरटीए को भेजें तथा यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक मोड में हैं तो अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी को भेजें।

एकल नाम या संयुक्त रूप से भौतिक शेयर रखने वाले सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे कंपनी में अपनी शेयरधारिता के संबंध में नामांकन करें। नामांकन प्रपत्र आरटीए वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। यदि कोई सदस्य पहले के नामांकन को रद्द करना या छोड़ना चाहता है तथा नया नामांकन दर्ज करना चाहता है, तो वह फॉर्म आईएसआर-3 या एसएच-13, जैसा भी मामला हो, में नामांकन प्रस्तुत कर सकता है। उक्त प्रपत्र आरटीए वेबसाइट-निवेशक सहायता केंद्र (आईएससी) वेबपेज से डाउनलोड किया जा सकता है।

23. वित्तीय विवरणों और इस बैठक की कार्यवाही की किसी अन्य मद(ओं) के संबंध में कोई भी सूचना चाहने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने प्रश्न कंपनी के कंपनी सचिव को agm2025@pfcindia.com पर ई-मेल के माध्यम से बैठक की तारीख से कम-से-कम पंद्रह दिन पहले भेजें। कंपनी द्वारा उसका उपयुक्त उत्तर दिया जाएगा।

24. संबद्ध सूचना और स्पष्टीकरण विवरण तथा सांविधिक रजिस्टर में उल्लिखित समस्त दस्तावेज इस सूचना के परिचालन की तारीख से एजीएम की तारीख अर्थात 28 अगस्त, 2025 तक कंपनी की वेबसाइट www.pfcindia.co.in पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध रहेंगे।

25. संकल्पों के परिणाम वार्षिक आम बैठक के बाद घोषित किए जाएंगे बैठक का कंपनी और संकल्पों को वार्षिक आम बैठक की तारीख को पारित किया गया माना जाएगा, बशर्ते कि संकल्पों के पक्ष में अपेक्षित संख्या में वोट प्राप्त हों। घोषित किए गए परिणाम और संवीक्षक की रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.pfcindia.co.in) और पर केफिनटेक की वेबसाइट (https://evoting.kfintech.com) पर अपलोड किया जाएगा तथा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी सूचित किया जाएगा।

26. प्रस्तावों के परिणाम कंपनी की वार्षिक आम बैठक के बाद घोषित किए जाएँगे और प्रस्तावों के पक्ष में अपेक्षित संख्या में मत प्राप्त होने पर, प्रस्तावों को वार्षिक आम बैठक की तिथि पर पारित माना जाएगा। घोषित परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट (www.pfcindia.co.in) और KFintech की वेबसाइट (https://evoting.kfintech.com) पर उपलब्ध होंगे और बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी सूचित किए जाएँगे।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोटिंग

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपने सभी शेयरधारकों को इस बैठक में विचार की जाने वाली मदों के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव कर रही है। कंपनी ने एजीएम के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु केफिनटेक की सेवाएं लेने के लिए अनुबंध किया है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि 15 अगस्त, 2025 को प्रात: 09:00 बजे से शुरू होकर 27 अगस्त, 2025 को अपराह्न 5.00 बजे तक रहेगी। केफिनटेक द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल 27 अगस्त, 2025 को अपराह्न 5.00 बजे बंद कर दिया जाएगा।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और अनुदेश नीचे दिए गए हैं। सभी सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना वोट देने से पहले इन अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और अनुदेश

I. कंपनी के शेयरों को डीमैट रूप में धारण करने वाले **व्यक्तिगत शेयरधारकों** द्वारा रिमोट ई-वोटिंग करने के लिए अनुदेश

सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित परिपत्र के अनुसार, कंपनी के शेयरों को डीमैट रूप में धारण करने वाले सभी व्यक्तिगत शेयरधारक, डिपॉजिटरियों/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी की वेबसाइट पर उनके डीमैट खाते के माध्यम से सिंगल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। तदनुसार, डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों द्वारा यथा विकसित रिमोट ई-वोटिंग सुविधा लॉगिन करने और एक्सेस करने के लिए प्रक्रिया नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन की पद्धति
एनएसडीएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूति धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक/	**1. आईडीईएएस सुविधा के लिए पहले से पंजीकृत यूजर हेतु:** I. https://eservices.nsdl.com पर जाएं। II. 'आईडीईएएस' खंड के अंतर्गत 'लॉगिन' के अंतर्गत 'बेनिफिसियल ऑनर' पर क्लिक करें। III. नए पेज पर, यूजर आईडी और पासवर्ड डालें। सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण होने के बाद 'ई-वोटिंग एक्सेस' पर क्लिक करें। IV. कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट देने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर ले जाया जाएगा। **2. जो यूजर आईडीईएएस ई-सर्विसिज के लिए पंजीकृत नहीं है, उनके लिए:** I. पंजीकरण के लिए लिंक https://eservices.nsdl.com पर क्लिक करें। II. 'आईडीईएएस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण' चुने अथवा https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।

	III. अपेक्षित फील्ड को भरते हुए आगे बढ़ें। IV. बिंदु 1 में दिए गए स्टैप का अनुसरण करें। **3. वैकल्पिक रूप से एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट को सीधे एक्सेस करके:** I. यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ खोलें। II. 'लॉगिन' आइकॉन पर क्लिक करें, जो कि 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन में उपलब्ध है। III. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास आपका 16 डिजिट का डीमैट खाता), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई देगा, डालना होगा। IV. सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण होने के बाद, आपसे कंपनी का नाम और ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का नाम अर्थात केफिनटेक का चयन करने के लिए अनुरोध किया जाएगा। V. सफलतापूर्वक चयन करने के बाद आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट देने के लिए केफिनटेक ई-वोटिंग पेज पर ले जाया जाएगा।
सीडीएसएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियां धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	**1. मौजूदा यूजर, जिन्होंने ईजी/ ईजियस्ट के लिए विकल्प किया है:** I. यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasitoken/home/login अथवा यूआरएल: www.cdslindia.com पर जाएं। II. न्यू सिस्टम माईईजी पर क्लिक करें। III. अपने पंजीकृत यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। IV. यूजर को ई-वोटिंग मेन्यू दिखाई देखा। मेन्यू में ईएसपी अर्थात केफिनटेक ई-वोटिंग पोर्टल के लिए लिंक होगा। V. वोट देने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें। **2. जो यूजर ईजी/ ईजियस्ट के लिए पंजीकृत नहीं हैं:** I. पंजीकरण के लिए विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasitoken/home/login पर उपलब्ध है। II. अपेक्षित फील्ड को पूरा करके आगे बढ़ें। III. बिंदु 1 में दिए गए स्टैप का अनुसरण करें। **3. वैकल्पिक रूप से, सीएसडीएल की ई-वोटिंग सुविधा सीधे एक्सेस करके:** I. यूआरएल : www.cdslindia.com पर जाएं। II. अपना डीमैट खाता संख्या ओर पैन संख्या प्रदान करें। III. सिस्टम द्वारा, पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर, जो डीमैट खाते में दर्ज है, ओटीपी भेजकर यूजर का प्रमाणीकरण किया जाएगा। IV. सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण करने के बाद यूजर को संबंधित ईएसपी अर्थात **केफिनटेक** के लिए लिंक दिया जाएगा, जहां पर कि ई-वोटिंग हो रही है।
अपने डीमैट	I. ई-वोटिंग सुविधा के लिए आप एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत

खाते/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी की वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक		अपने डीपी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं।
	II.	लॉगिन कर लेने के बाद आप ई-वोटिंग का विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग के विकल्प पर क्लिक करने के बाद, आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी की साइट पर सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण के बाद ले जाया जाएगा, जिसमें आप ई-वोटिंग का फीचर देख सकते हैं।
	III.	कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता - **केफिनटेक** के लिए उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान बिना आगे प्रमाणीकरण किए, अपना वोट देने के लिए **केफिनटेक** की ई-वोटिंग वेबसाइट पर ले जाया जाएगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणी : जो सदस्य यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्ध फोरगॉट यूजर आईडी और फोरगॉट पासवर्ड के विकल्प का प्रयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल और सीएसडीएल के माध्यम से लॉगिन संबंधी किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट रूप में प्रतिभूति धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्प डेस्क।

व्यक्तिगत सदस्य, जो उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागियों द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के माध्यम से वोट दे रहे हैं, वे हेल्पलाइन/ संपर्क विवरण पर उनके संबंधित डीपी से संपर्क करें।

लॉगिन टाइप	**हेल्प डेस्क ब्यौरा**
एनएसडीएल के पास धारित प्रतिभूति	कृपया evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर अथवा टोल फ्री नं. **022-48867000** पर फोन करके एनएसडीएल हेल्प डेस्क पर संपर्क करें।
सीडीएसएल के पास धारित प्रतिभूति	कृपया helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या हेल्प डेस्क **1800 2109 911** पर संपर्क करके सीडीएसएल हेल्प डेस्क से संपर्क करें।

II डीमैट रूप में प्रतिभूतियां धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त और भौतिक रूप में प्रतिभूतियां धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग हेतु लॉगिन का तरीका।

(क) यदि सदस्य केफिनटेक से ई-मेल प्राप्त कर रहे हैं *(ऐसे सदस्यों के लिए लागू, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं)*

i. किसी इंटरनेट ब्राउजर पर जाएं और https://emeetings.kfintech.com/ खोलें।

ii. लॉगिन क्रेडेंशियल डालें (अर्थात यूजर आईडी और पासवर्ड)। फिजिकल फोलियो के मामले में, यूजर आईडी, ईवीईएन (ई-वोटिंग ईवेंट नंबर) 9023, के बाद फोलियो नंबर होगा। यदि डीमैट खाता है तो यूजर आईडी आपका डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी

होगा। तथापि, यदि आप पहले से ही केफिनटेक के पास ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट देने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

iii. उपर्युक्त ब्यौरे दर्ज करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें।

iv. पासवर्ड बदलने का मेन्यू दिखाई देगा। अपनी पसंद का नया पासवर्ड डाल कर पासवर्ड बदलें। नए पासवर्ड में कम-से-कम 8 कैरेक्टर होंगे, जिनमें कम-से-कम एक अपर केस (ए-जेड), एक लोवर केस (ए-जेड); एक अंक (0-9) और एक स्पेशल कैरेक्टर(@, #, $, आदि) होगा। सिस्टम आपको पहली बार में लॉगिन पर अपना संपर्क विवरण जैसे मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, आदि अपडेट करने लिए भी कहेगा। आप एक गुप्त प्रश्न भी डाल सकते हैं और अपना पासवर्ड भूलने की स्थिति में पुन: प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद का उत्तर डाल सकते हैं। आपको सख्त हिदायत दी जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति से साझा न करें और आप पासवर्ड को गोपनीय रखने का पूरा ध्यान रखें। आपको नए क्रेडेंशियल के साथ पुन: लॉगिन करना होगा।

v. सफलतापूर्वक लॉगिन करने पर सिस्टम आपको तुरंत पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ईवीईएन का चयन करने और 'सबमिट' पर क्लिक करने के लिए कहेगा।

vi. वोटिंग पेज पर 'फोर/अगेंस्ट' के अंतर्गत नियत तारीख अर्थात 12 अगस्त, 2025 तक शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या को दर्शाता है) प्रविष्ट करें अथवा वैकल्पिक रूप से आप 'फोर' और 'अगेंस्ट' के लिए कोई अलग संख्या डाल सकते हैं, लेकिन 'फोर'/ 'अगेंस्ट' में कुल संख्या मिलाकर आपकी ऊपर दी गई कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होगी। आप 'एब्सटेन' विकल्प का भी चयन कर सकते हैं। यदि सदस्य 'फोर' अथवा 'अगेंस्ट' का उल्लेख नहीं करता तो उसे 'एब्सटेन' माना जाएगा और धारित शेयरों को किसी भी शीर्ष के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा।

vii. इसके अतिरिक्त, अनेक फोलियो/डीमैट खातों को धारण करने वाले सदस्य प्रत्येक फोलियो/ डीमैट खातों के लिए अलग वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे।

viii. सूचना की प्रत्येक मद के लिए अलग वोटिंग की जानी है। यदि आप किसी भी संबंधित मद पर वोट नहीं करना चाहते हैं तो इसे 'एब्सटेन' माना जाएगा।

ix. तब आप किसी उपयुक्त विकल्प का चयन करके और 'सबमिट' पर क्लिक करके अपना वोट दे सकते हैं।

x. एक पुष्टि का बॉक्स प्रदर्शित होगा। पुष्टि करने के लिए 'ओके' पर क्लिक करें अथवा संशोधन करने के लिए 'कैंसल' पर क्लिक करें। एक बार जब आपने संकल्प पर वोट दे दिया है, तो आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी। वोटिंग की अवधि के दौरान, सदस्य संकल्प पर वोट देने तक चाहे जितनी बार लॉगिन कर सकते हैं।

xi. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों (अर्थात व्यक्तिगत, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों के सत्यापित हस्ताक्षर नमूनों के साथ बोर्ड संकल्प/प्राधिकार-पत्र आदि की स्कैन की गई प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि (पीडीएफ फार्मेट में) संवीक्षक को ई-मेल आईडी nayan@mehta-mehta.in पर और उसकी प्रतिलिपि evoting@kfintech.com पर भी भेजनी अपेक्षित है। उपर्युक्त दस्तावेज की स्कैन की गई ईमेज 'कॉर्पोरेट नाम_इवेंट नं.' फार्मेट में होनी चाहिए।

(ख) जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं:

i. कृपया ई-मेल पते के पंजीकरण के लिए टिप्पणी के बिंदु सं. 19 में यथा उल्लिखित स्टैप का अनुसरण करें।

ii. कृपया ई-मेल आईडी के पंजीकरण के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना वोट देने के लिए उपर्युक्त सभी स्टैप का अनुसरण करें।

III. किसी भी प्रकार के प्रश्न के मामले में आप हेल्प और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग मैनुअल को देख सकते हैं, जो केफिनटेक की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध है अथवा आप सुश्री स्वाति रेड्डी (यूनिट: पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) से einward.ris@kfintech.com और evoting@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं अथवा केफिनटेक के टोल फ्री नंबर 1-800-309-4001 पर आगे किसी भी स्पष्टीकरण के लिए संपर्क कर सकते हैं।

IV. जिन सदस्यों ने वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद और नियत तारीख अर्थात 22 मई, 2025 को अथवा उससे पूर्व शेयर अर्जित किए हैं, वे निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोट के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं:

क) यदि सदस्य का ई-मेल अथवा मोबाइल नंबर, फोलियो सं./डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी के लिए पंजीकृत है:

सदस्य **9212993399** पर एसएमएस : MYEPWD <space> इवेंट नंबर+फोलियो नंबर अथवा डीपी आईडी क्लाइंट आईडी भेज सकते हैं।

एनएसडीएल के लिए उदाहरण:

MYEPWD <SPACE> IN12345612345678
सीडीएसएल के लिए उदाहरण:
MYEPWD <SPACE> 1402345612345678
फिजिकल के लिए उदाहरण:
MYEPWD <SPACE> POW1234567

अथवा

सदस्य https://evoting.kfintech.com के होम पेज पर जा सकते हैं और पासवर्ड बनाने के लिए 'फोरगॉट पासवर्ड' पर क्लिक करके फोलियो संख्या अथवा डीपी आईडी क्लाइंट आईडी और पैन संख्या डाल सकते हैं।

ख) यदि सदस्य को एजीएम के दौरान अथवा पहले कोई तकनीकी सहायता अथवा सहयोग की आवश्यकता हो, तो उनसे अनुरोध है कि वे केफिनटेक के टोल फ्री नं.1-800-309-4001 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा उन्हें einward.ris@kfintech.com पर लिख सकते हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए अनुदेश:

1. सदस्य 'वीडियो कॉन्फ्रेंस टैब' को क्लिक करके और https://emeetings.kfintech.com/ पर यूजर आईडी तथा पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके, जो केफिनटेक से प्राप्त मेल में प्रदान किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए प्लेटफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। एजीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्यों के लॉगिन में उपलब्ध होगा, जहां 'इवेंट' और 'कंपनी का नाम' चुना जा सकता है। वीडियो सिंबल पर क्लिक करके बैठक में शामिल होने के लिए बैठक को स्वीकार करें। कृपया यह नोट करें कि जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं अथवा जिनके पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं अथवा यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे उसे इस सूचना में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग अनुदेशों का अनुसरण करके पुन: प्राप्त कर सकते हैं।

2. एजीएम में शामिल होने के लिए सुविधा, एजीएम शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले शुरू होगी और ऐसे नियत समय के 15 मिनट के बाद समाप्त होगी।

3. सदस्यों के बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम (अधिमानित ब्राउजर) का इस्तेमाल करके बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

4. सदस्यों को दो तरफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा के लिए वेब केम की सुविधा प्रदान करनी होगी।

5. सदस्यों को यह सलाह दी जाती है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुचारु रूप से भाग लेने के लिए स्थिर वाई-फाई अथवा लैन कनेक्शन का इस्तेमाल करें। प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो रुकावट आ सकती है।

6. जो सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं अथवा प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे https://emeetings.kfintech.com/ पर विजिट कर सकते हैं और अपना नाम, डिमेट खाता संख्या/फोलियो नंबर, ई-मेल पता और मोबाइल नंबर डालकर, प्रदान किए गए विंडो में अपने प्रश्न पूछने के लिए 'पोस्ट योर क्वश्चन' टेब पर क्लिक करें। यह विंडो 25 अगस्त, 2025 से 26 अगस्त, 2025 तक सक्रिय रहेगी।

7. उपर्युक्त चरण के अतिरिक्त, जो सदस्य बैठक के दौरान बोलना चाहें, वे अपने विचार प्रकट करने के लिए एजीएम के लिए स्पीकर के रूप में स्वयं को पंजीकृत करवा सकते हैं, तदनुसार, सदस्य https://emeetings.kfintech.com/ पर जाकर 25 अगस्त, 2025 से 26 अगस्त, 2026 तक 'स्पीकर रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक कर सकते हैं। सदस्यों को एजीएम से पहले एक 'क्यू नंबर' दिया जाएगा। कंपनी के पास केवल उतने सदस्यों को ही एजीएम में बोलने के लिए सीमित रखने का अधिकार है, जिन्होंने स्वयं को पंजीकृत कराया है, जो एजीएम के लिए समय की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

8. जिन सदस्यों ने ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट देने के पात्र हैं। एजीएम के दौरान ई-वोटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है। सदस्य अपना वोट देने के लिए स्क्रीन के बायीं ओर वोटिंग आइकोन (अंगूठे के निशान) पर क्लिक कर सकते हैं।

9. यदि किसी सदस्य को एजीएम से पूर्व अथवा एजीएम के दौरान कोई तकनीकी सहायता अथवा सहयोग की आवश्यकता हो तो उनसे अनुरोध है कि वे केफिनटेक प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नं. 1-800-309-4001 पर कॉल कर सकते हैं अथवा evoting@kfintech.com पर उन्हें लिख सकते हैं।

व्याख्यात्मक कथन

सूचना में निर्धारित विशेष कार्यवाही के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार विवरण।

मद सं. 5

निम्नलिखित कथन संलग्न सूचना की मद सं. 5 में उल्लिखित विशेष कार्यवाही से संबंधित भौतिक तथ्यों को निर्धारित करता है:

श्रीमती उषा सजीव नायर (डीआईएन: 09408454) की कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति ।

एसोसिएशन के लेखों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए का कंपनी, श्रीमती उषा सजीव नायर (डीआईएन: 09408454) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त/पुनः नियुक्त किया गया का कंपनी द्वारा अध्यक्ष का भारत के माध्यम से मंत्रालय आदेश संख्या एफ.सं.46/2/2010-आरई(खंड **III)(**भाग-4)(भाग-1) दिनांक के तहत शक्ति का अप्रैल 17, 2025 और बाद में पर नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया गया जैसा एक अतिरिक्त निदेशक द्वारा तख़्ता का 17 अप्रैल, 2025 से इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक निदेशकों की नियुक्ति। नियुक्ति को विनियमित करने वाले नियम और शर्तें का श्रीमती उषा सजीव नायर चाहेंगे होना जैसा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा ।

उनका संक्षिप्त बायोडाटा, अन्य बातों के साथ-साथ, विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता की प्रकृति बताते हुए प्रदान किया जा रहा है, जो इस नोटिस का हिस्सा है। **श्रीमती उषा सजीव** नायर, संकल्प में संपृक्त और इच्छुक हैं। कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अनुसार निदेशक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित में एक नोटिस प्राप्त हुआ है।

श्रीमती उषा सजीव नायर अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती हैं। वह प्रबंधन से स्वतंत्र हैं और उन्होंने यह भी घोषित किया है कि उन्हें सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है। इसके अलावा, वह कंपनी के किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं हैं। कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अनुसार निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए एक लिखित सूचना प्राप्त हुई है।

श्रीमती उषा सजीव नायर इस संकल्प में संपृक्त और इच्छुक हैं।

इसके अलावा, किसी अन्य निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का उक्त प्रस्ताव को पारित करने में कोई वित्तीय या अन्य प्रकार से सरोकार या हित नहीं है, सिवाय कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा के।

बोर्ड इस नोटिस के क्रमांक 5 में दिए गए प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में आपके अनुमोदन के लिए अनुशंसा करता है।

मद सं. 6

निम्नलिखित कथन संलग्न सूचना की मद सं. 6 में उल्लिखित विशेष कार्यवाही से संबंधित भौतिक तथ्यों को निर्धारित करता है:

श्री प्रसन्ना तंत्री (डीआईएन: 06471864) की कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति।

कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री प्रसन्ना तंत्री (डीआईएन: 06471864) को भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से आदेश संख्या एफ.सं.46/2/2010-आरई(खंड III)(भाग-4)(भाग-1) दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के तहत कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त/पुनर्नियुक्त किया गया और तत्पश्चात नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, निदेशक मंडल द्वारा 17 अप्रैल, 2025 से इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री प्रसन्न तंत्री की नियुक्ति को विनियमित करने वाले नियम और शर्तें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

उनका संक्षिप्त बायोडाटा, अन्य बातों के साथ-साथ, विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति का विवरण प्रदान किया जा रहा है, जो इस सूचना का हिस्सा है।

श्री प्रसन्ना तंत्री अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं। वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं और उन्होंने यह भी घोषित किया है कि उन्हें सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वे कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। इसके अलावा, वे कंपनी के किसी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं हैं। कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अनुसार निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए एक लिखित सूचना प्राप्त हुई है।

श्री प्रसन्ना तंत्री इस संकल्प में संपृक्त और इच्छुक हैं।

इसके अलावा, किसी अन्य निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, उक्त संकल्प को पारित करने में कोई वित्तीय या अन्यथा चिंता या रुचि नहीं है।

बोर्ड इस नोटिस के क्रमांक 6 में दिए गए प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में आपके अनुमोदन हेतु अनुशंसित करता है।

मद सं. 7

निम्नलिखित कथन संलग्न सूचना की मद सं. 7 में उल्लिखित विशेष कार्यवाही से संबंधित भौतिक तथ्यों को निर्धारित करता है:

श्री नरेश धनराजभाई केल्ला (डीआईएन: 01176450) की कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्ति।

कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री नरेश धनराजभाई केल्ला (डीआईएन: 01176450) को भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से आदेश संख्या एफ.सं.46/2/2010-आरई(खंड III)(भाग-4)(भाग-1) दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के तहत कंपनी के अंशकालिक गैर-

सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त/पुनर्नियुक्त किया गया और तत्पश्चात नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, निदेशक मंडल द्वारा 17 अप्रैल, 2025 से इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री नरेश धनराजभाई केल्ला की नियुक्ति को विनियमित करने वाले नियम और शर्तें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

उनका संक्षिप्त बायोडाटा, अन्य बातों के साथ-साथ, विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति का विवरण प्रदान किया जा रहा है, जो इस सूचना का हिस्सा है।

श्री नरेश धनराजभाई केल्ला अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं। वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं और उन्होंने यह भी घोषित किया है कि उन्हें सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वे कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। इसके अलावा, वे कंपनी के किसी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं हैं। कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अनुसार निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए एक लिखित सूचना प्राप्त हुई है।

श्री नरेश धनराजभाई केल्ला इस संकल्प में संपृक्त और इच्छुक हैं।

इसके अलावा, किसी अन्य निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, उक्त संकल्प को पारित करने में कोई वित्तीय या अन्यथा चिंता या रुचि नहीं है।

बोर्ड इस नोटिस के क्रमांक 7 में दिए गए प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में आपके अनुमोदन हेतु अनुशंसित करता
है।

मद सं. 8

निम्नलिखित कथन संलग्न सूचना की मद सं. 8 में उल्लिखित विशेष कार्यवाही से संबंधित भौतिक तथ्यों को निर्धारित करता है:

श्री भास्कर भट्टाचार्य (डीआईएन: 09406292) की कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्ति।

कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री भास्कर भट्टाचार्य (डीआईएन: 09406292) को भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से आदेश संख्या एफ.सं.46/2/2010-आरई(खंड III)(भाग-4)(भाग-1) दिनांक 13 मई, 2025 के तहत कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त/पुनर्नियुक्त किया गया और तत्पश्चात नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, निदेशक मंडल द्वारा 17 अप्रैल, 2025 से इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री भास्कर भट्टाचार्य की नियुक्ति को विनियमित करने वाले नियम और शर्तें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

उनका संक्षिप्त बायोडाटा, अन्य बातों के साथ-साथ, विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति का विवरण प्रदान किया जा रहा है, जो इस सूचना का हिस्सा है।

श्री भास्कर भट्टाचार्य अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं। वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं और उन्होंने यह भी घोषित किया है कि उन्हें सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वे कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। इसके अलावा, वे कंपनी के किसी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं हैं। कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अनुसार निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए एक लिखित सूचना प्राप्त हुई है।

श्री भास्कर भट्टाचार्य इस संकल्प में संपृक्त और इच्छुक हैं।

इसके अलावा, किसी अन्य निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, उक्त संकल्प को पारित करने में कोई वित्तीय या अन्यथा चिंता या रुचि नहीं है।

बोर्ड इस नोटिस के क्रमांक 8 में दिए गए प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में आपके अनुमोदन हेतु अनुशंसित करता
है।

मद सं. 9

निम्नलिखित कथन संलग्न सूचना की मद सं. 9 में उल्लिखित विशेष कार्यवाही से संबंधित भौतिक तथ्यों को निर्धारित करता है:

डॉ. सुधीर मेहता (डीआईएन: 00056867) की कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्ति।

कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. सुधीर मेहता (डीआईएन: 00056867) को भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से आदेश संख्या एफ.सं.46/2/2010-आरई(खंड III)(भाग-4)(भाग-1) दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के तहत कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त/पुनर्नियुक्त किया गया और तत्पश्चात नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, निदेशक मंडल द्वारा 14 मई, 2025 से इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री भास्कर भट्टाचार्य की नियुक्ति को विनियमित करने वाले नियम और शर्तें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

उनका संक्षिप्त बायोडाटा, अन्य बातों के साथ-साथ, विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति का विवरण प्रदान किया जा रहा है, जो इस सूचना का हिस्सा है।

डॉ. सुधीर मेहता अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं। वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं और उन्होंने यह भी घोषित किया है कि उन्हें सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वे कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। इसके अलावा, वे कंपनी के किसी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं हैं। कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अनुसार निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए एक लिखित सूचना प्राप्त हुई है।

डॉ. सुधीर मेहता इस संकल्प में संपृक्त और इच्छुक हैं।

इसके अलावा, किसी अन्य निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, उक्त संकल्प को पारित करने में कोई वित्तीय या अन्यथा चिंता या रुचि नहीं है।

बोर्ड इस नोटिस के क्रमांक 9 में दिए गए प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में आपके अनुमोदन हेतु अनुशंसित करता
है।

मद सं. 10

निम्नलिखित कथन संलग्न सूचना की मद सं. 10 में उल्लिखित विशेष कार्यवाही से संबंधित भौतिक तथ्यों को निर्धारित करता है:

मेसर्स टी. चटर्जी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करना।

निदेशक मंडल ने 24.07.2025 को आयोजित अपनी बैठक में मेसर्स टी. चटर्जी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज को कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक लगातार पांच वर्षों की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे, जो सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है।

कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स टी. चटर्जी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों की उपरोक्त नियुक्ति सामान्य बैठक में सदस्यों के अनुमोदन से लगातार पांच वर्षों की दो से अधिक अवधि के लिए की जा सकती है और ऐसी नियुक्ति सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 24ए के अनुसार होगी, जिसे सेबी के 12 दिसंबर, 2024 के परिपत्र के माध्यम से संशोधित किया गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के प्रावधान हैं।

मेसर्स टी. चटर्जी एंड एसोसिएट्स ने कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सहमति प्रदान की है (यदि अनुमोदित हो) और मेसर्स टी. चटर्जी एंड एसोसिएट्स अयोग्य नहीं है और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के संशोधित विनियम 24ए के संदर्भ में कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र है।

मेसर्स टी. चटर्जी एंड एसोसिएट्स ने भी पुष्टि की है कि उन्होंने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की सहकर्मी समीक्षा प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया है और उनके पास वैध सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र है।

मेसर्स टी. चटर्जी एंड एसोसिएट्स के संबंध में आगे की जानकारी नीचे दी गई तालिका में दी गई है:-

क्रम संख्या	विवरण	ब्यौरा
01	फर्म को देय प्रस्तावित शुल्क:	लगातार पाँच वर्षों के लिए 1,25,000/- रुपये (केवल एक लाख पच्चीस हजार रुपये) (सभी लागू करों सहित) का समेकित शुल्क।
02	ऐसे लेखा परीक्षक को देय शुल्क में निवर्तमान लेखा परीक्षक को दिए गए शुल्क से कोई भी भौतिक परिवर्तन, साथ ही ऐसे परिवर्तन का औचित्य;	सचिवीय लेखा परीक्षक को देय प्रस्तावित समेकित शुल्क GeM पोर्टल पर बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।
03	सचिवीय लेखा परीक्षक के प्रमाण पत्र:	मेसर्स टी. चटर्जी एंड एसोसिएट्स FRN: P2007WB067100 Peer Review No. 908/2020

मेसर्स टी. चटर्जी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव इस प्रस्ताव से संपृक्त और इच्छुक हैं।

इसके अतिरिक्त, किसी अन्य निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का उक्त प्रस्ताव के पारित होने में, कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, कोई वित्तीय या अन्य प्रकार से कोई सरोकार या रुचि नहीं है।

बोर्ड इस सूचना के क्रम संख्या 10 में दिए गए प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में आपके अनुमोदन हेतु अनुशंसित करता है।

मद सं. 3,5,7,8 एवं 9 के अंतर्गत 39वीं एजीएम में नियुक्ति/पुन: नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का ब्यौरा

नाम	श्री राजीव रंजन झा	श्रीमती उषा सजीव नायर	श्री प्रसन्ना तंत्री	श्री नरेश धनराजभाई केल्ला	श्री भास्कर भट्टाचार्य	श्री सुधीर मेहता
जन्म तिथि और आयु	26 अप्रैल, 1966 (59 वर्ष)	02 जुलाई, 1976 (49 वर्ष)	14 अक्तूबर, 1981 (43 वर्ष)	11 जनवरी, 1983(42 वर्ष)	15जुलाई,1958(66 वर्ष)	5 जून, 1969(55 वर्ष)
अर्हता	• रांची विश्वविद्यालय के एनआईटी जमशेदपुर से विज्ञान (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) में स्नातक की डिग्री • इग्नू से प्रबंधन में डिप्लोमा	• एलएलबी • बी.ए. (स्नातक)	• पीएच.डी., डीकिन विश्वविद्यालय • एफपीएम, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस • पीजीपी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस • आईसीडब्ल्यूए, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया • बी.कॉम, मैंगलोर विश्वविद्यालय	• चार्टर्ड अकाउंटेंट • बी. कॉम. • एलएलबी	• बी.कॉम.(स्नातक) • एलएलबी • स्नातकोत्तर • व्यवसाय प्रबंधन में डिप्लोमा	• कंप्यूटर विज्ञान और अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री • वित्त एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एमबीए
नियुक्ति की	28.10.2021	17.04.2025	17.04.2025	17.04.2025	13.05.2025	14.05.2025

तारीख						
नियुक्ति के लिए निबंधन एवं शर्तें	विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी अधिवार्षिता की तारीख तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त किया गया।	भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए है।	भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए है।	भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए है।	भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए है।	भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए है।
पारिश्रमि	विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के	विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा	विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति की	विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा	विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के	विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा

क	राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार।	जारी नियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार।	मानक शर्तों के अनुसार।	जारी नियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार।	राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार।	जारी नियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार।	
कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	वह मार्च 1997 से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) में कार्यरत हैं। वह 28 अक्टूबर, 2021 से निदेशक (परियोजनाएँ) का कार्यभार संभाल रहे हैं। उनके पास कुल 37 वर्षों का अनुभव है और वह 27 मई, 2019 से पीएफसी के कार्यकारी निदेशक (परियोजनाएँ) के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले, वह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा राज्यों में राज्य क्षेत्र	वह एक महिला उद्यमी हैं जो दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में अपना खुद का व्यवसाय चलाती हैं। इसके अलावा, वह ज़रूरतमंद लोगों के उत्थान के लिए सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं। वह महिलाओं के मुद्दों को उठाने, वृद्धों और बेघर लोगों और अनाथों की सहायता करने में भी लगी हुई हैं।	वह इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस में वित्त क्षेत्र में एसोसिएट प्रोफेसर और आईएसबी में विश्लेषणात्मक वित्त केंद्र के कार्यकारी निदेशक हैं। उनके शोध क्षेत्रों में बैंकिंग, वित्तीय समावेशन, वित्तीय संक्रमण, विनियमन और राजनीति और वित्त के बीच संबंध शामिल हैं। उनके नाम शीर्ष स्तरीय सहकर्मी-समीक्षित वित्त पत्रिकाओं में कई प्रकाशन हैं।	उनके पास 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है और वे वर्तमान में गुजरात राज्य शुल्क संशोधन समिति के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें 2014 से 2017 तक राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, एक बहु-राज्यीय अनुसूचित सहकारी बैंक लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य करने का भी व्यापक अनुभव है। वे वर्तमान में सुरेंद्रनगर जिले के व्यापार एवं उद्योग के एक शीर्ष निकाय, जालवाड़ व्यापार एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं।	वह 30 से ज़्यादा वर्षों से एक वकील के रूप में कार्यरत हैं। वह हुगली टैक्स एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण के सदस्य हैं। उन्होंने निबेदान नामक एक गैर सरकारी संगठन में महासचिव के रूप में भी काम किया है और वर्तमान में पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत नामक एक गैर सरकारी संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में भी	वह एक सीरियल उद्यमी, नीति विश्लेषक और स्तंभकार हैं और साथ ही, भारत की अग्रणी ऑटोमोटिव उत्पाद और विशेष वाहन कंपनी, पिनेकल इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी हैं। वह EKA मोबिलिटी, एक वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहन और प्रौद्योगिकी कंपनी, के संस्थापक भी हैं, जिसकी मित्सुई कंपनी लिमिटेड (जापान) और VDL ग्रुप (नीदरलैंड) के साथ संयुक्त इक्विटी और	

	समन्वय कार्य सहित पश्चिमी क्षेत्र में पीएफसी के ऋण पोर्टफोलियो का कार्यभार संभाल रहे थे। उन्होंने PFC के संपूर्ण कंसोर्टियम ऋण पोर्टफोलियो की भी देखरेख की है, जहाँ PFC प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता था। इसके अलावा, उन्होंने संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) ऋण पोर्टफोलियो को संभाला है और पीएफसी की आरई-केंद्रित सहायक कंपनी की स्थापना, इसके निगमन, संचालन, व्यवसाय विकास और नीति निर्माण			पूर्व में उन्होंने रोटारैक्ट क्लब जिला 3060 में सहायक जिला रोटारैक्ट प्रतिनिधि के रूप में भी स्वयंसेवा की है। वे वर्तमान में धनराज केला चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रबंधन कर रहे हैं, जहाँ वे गौशाला और छात्र छात्रावास का प्रबंधन, चिकित्सा राहत शिविरों का आयोजन और विभिन्न पाठ्यचर्या गतिविधियों में सरकारी स्कूल के छात्रों की सहायता जैसे धर्मार्थ कार्य करते हैं।	कार्यरत हैं।	साझेदारी है। उन्होंने कई उद्यम शुरू किए हैं और उनका सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। उनकी कंपनियों के समूह में वैश्विक स्तर पर 5,000 से अधिक लोग कार्यरत हैं। वह रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी (RMP) की प्रबंध समिति के सदस्य, नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च सेंटर (NFPRC) के सलाहकार और COVID-19/सहयोगी प्रतिक्रिया (PPCR) फाउंडेशन के पुणे प्लेटफॉर्म के प्रमुख और समन्वयक भी हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने CII पश्चिमी क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष और	

	में शामिल टीम का नेतृत्व किया है। उन्होंने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तथा समय के साथ पीएफसी के शुद्ध एनपीए में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह वर्तमान में पीएफसी में प्रोजेक्ट्स डिवीजन के प्रमुख हैं, जो मूल्यांकन और संरचना, जोखिम विश्लेषण, संवितरण, क्रेडिट मॉनिटरिंग, नीति निर्माण और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रबंधन सहित व्यवसाय विकास और परियोजना					MCCIA के पूर्व अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वह टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, द हिंदू बिजनेस लाइन, मिंट, सकाल, लोकमत और अन्य प्रमुख प्रकाशनों के लिए नियमित रूप से लेख लिखते हैं।

		वित्त कार्यों की देखरेख करते हैं। वह पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के प्रभारी निदेशक के रूप में भी कार्य करते हैं, जो परामर्श सेवाओं, बोली प्रक्रिया समन्वयक (आईटीपी) असाइनमेंट और अन्य रणनीतिक पहलों में संलग्न एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। उन्होंने विद्युत मंत्रालय (एमओपी) को प्रमुख पहलों पर समर्थन देने में अग्रणी भूमिका निभाई है, जैसे कि विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएस) तंत्र का कार्यान्वयन, प्राप्ति पोर्टल के माध्यम से					

	सिस्टम-संचालित डेटा एकीकरण, तृतीय-पक्ष कोयला नमूनाकरण के लिए सलाहकार पैनल और शक्ति बी (वी) योजना - संचालन और बोली मूल्यांकन समितियों, अखिल भारतीय तनावग्रस्त परिसंपत्ति निगरानी, आदि में कार्य किया है।					
वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठ	16/16	12/12	12/12	शून्य	12/12	शून्य

को की संख्या और भाग ली गई बैठकों की संख्या						
कंपनी के किसी निदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

क, प्रबंधन और अन्य केएमपी के साथ संबंध						
कंपनी में धारित	20005	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

शेयरों की सं.						
अन्य कंपनियों में निदेशक	• पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड • उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड • कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड • चेय्युर इंफ्रा लिमिटेड • पीटीसी इंडिया लिमिटेड • पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड	शून्य	शून्य	• धनराज शुगर्स एंड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड • धनराज शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड		•पुणे यूनाइटेड पिकलबॉल प्राइवेट लिमिटेड • पिनेकल ऑटो सॉल्यूशंस लिमिटेड • पिनेकल मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड •ज़ेनिथ इंस्टोर रिटेल सॉल्यूशंस एशिया प्राइवेट लिमिटेड • पुणे प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉर कोलैबोरेटिव रिस्पांस फ़ाउंडेशन • एआईसी-पिनेकल एंटरप्रेन्योरशिप फ़ोरम • वीडीएल पिनेकल इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड • इंस्टोर (इंडिया) प्राइवेट

						लिमिटेड • कैवियो पिनेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड • परफ़ॉर्म इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड • सीबी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड • ऐकॉन इंटालिया रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड
सभी सार्वजनिक	पावर फ़ाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड • लेखा परीक्षा समिति	-	पावर फ़ाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड • अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति	पावर फ़ाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड • सदस्य, लेखा परीक्षा समिति	पावर फ़ाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड • सदस्य, लेखा परीक्षा समिति • अध्यक्ष, हितधारक संबंध एवं	-

कंपनियों में समितियों* की अध्यक्षता/ सदस्यता (सूचना की तारीख त					शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति	

क)						
सूचीबद्ध कंपनियों क विवरण जिनसे पिछले तीन वर्षों में इस्तफ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

दि या है						

* इसमें लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध और शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति के अलावा बोर्ड समितियों में अध्यक्षता/सदस्यता शामिल नहीं है।